के लिए समय तय करें

ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रुप (**समूह**) ने एक व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन स्थापित की है, ताकि कार्यबल प्रतिभागियों को *जनहित प्रकटीकरण अधिनियम 2013* (**पीआईडी अधिनियम**), *निगम अधिनियम 2001* (राष्ट्रमण्डल) (**निगम अधिनियम**),या *कराधान प्रशासन अधिनियम* 1953 (राष्ट्रमण्डल) (**कराधान प्रशासन अधिनियम**) के अनुसार गंभीर प्रकृति के अनैतिक, गैर-कानूनी या गलत आचरण का प्रकटीकरण करने में सक्षम बनाया जा सके।

यदि आप एक वर्तमान या पूर्व कार्यबल प्रतिभागी हैं, तो आप इस प्रकार से प्रकटीकरण कर सकते/सकती हैं:

- समूह के कर्मचारी;
- एपीजी को सामान या सेवाएं प्रदान करने वाला अनुबंधक (वैतनिक या अवैतनिक);
- समूह को सामान या सेवाएं प्रदान करने वाले अनुबंधक का कर्मचारी या उप-अनुबंधक;
- समूह के लाइसेंस-प्राप्त पोस्ट ऑफिस का लाइसेंसी;
- समूह के लाइसेंस-प्राप्त पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी;
- समूह का अधिकारी या सहकर्मी; अथवा
- उपरोक्त में से किसी भी व्यक्ति का संबंधी या परिजन;

और

- आपकी चिंता किसी ग्राहक की शिकायत से संबंधित नहीं है;
- आपकी चिंता कार्य से संबंधित किसी निजी मामले से जुड़ी नहीं है;
- आपके पास समूह के अंदर या समूह से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर प्रकृति के अनैतिक, गैर-कानूनी या गलत आचरण किए जाने का संदेह करने के लिए उचित आधार हैं।

ग्राहकों की शिकायतें

जो ग्राहक शिकायत जमा करना चाहते हैं या जिन्हें समूह की सेवाओं के बारे में चिंताएं हैं, उन्हें डाक, ईमेल, 13 76 78 पर फोन के माध्यम से अथवा ऑनलाइन https://auspost.com.au/about-us/corporate-information/complaints-and-feedback#letter पर ग्राहक संपर्क केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

व्हिसलब्लोअर मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली गतिविधि के प्रकारों में इन मामलों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं:

- डाक या पार्सलों की डिलीवरी;
- ऑस्ट्रेलिया पोस्ट सुविधा पर डाक या सेवा प्राप्त करना; अथवा
- ग्राहकों या सामान्य जनता द्वारा देखा गया ऑस्ट्रेलिया पोस्ट स्टाफ का व्यवहार, जैसे ड्राइविंग से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग।

समूह की प्राथमिकता यह है कि सभी ग्राहक शिकायतों को समर्पित ग्राहक संपर्क टीम चैनलों का उपयोग करके जमा किया जाए, किंतु यदि कोई शिकायत व्हिसलब्लोअर संचार चैनलों के माध्यम से की जाती है, तो कार्यवाही के लिए शिकायत को संबंधित टीम के पास भेजा जाएगा।

काम से जुड़े निजी मामले

इन मामलों के बारे में चिंताएं:

- समूह के साथ किसी व्यक्ति के वर्तमान या पूर्व रोजगार से संबंधित व्यक्तिगत मामला;
- किसी व्यक्ति-विशेष के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधित अनुचित व्यवहार, जैसे भेदभाव, उत्पीड़न या धमकाना (जब तक कि ऐसे कार्य प्रकटीकरण करने के प्रतिशोध के रूप में न हों); अथवा
- दुराचार के ऐसे अन्य मामले, जो गंभीर और प्रणालीगत नहीं है, अथवा समूह के लिए जिनके व्यापक आशय नहीं हैं,

उनके बारे में रिपोर्टिंग प्रासंगिक नीति के तहत की जानी चाहिए, जिसके तहत इनका प्रबंधन अधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।

- किसी व्यक्ति-विशेष के साथ भेदभाव, उत्पीड़न या धमकाए जाने जैसे व्यक्तिगत रूप अनुचित व्यवहारों के लिए एचडीबी हॉटलाइन से HDBMatters@auspost.com.au पर संपर्क करें या 1800 641 535 पर कॉल करें;
- कार्य से संबंधित अन्य व्यक्तिगत मामलों को अपने मानव संसाधन प्रतिनिधि या जन अग्रणी के प्रति संदर्भित करें।

किंतु जैसाकि ग्राहकों की शिकायतों के साथ होता है, यदि हमें अपने व्हिसलब्लोअर संचार चैनलों के माध्यम से कार्य-संबंधी व्यक्तिगत चिंताओं के बारे में मामले प्राप्त होते हैं, तो हम इन्हें प्रबंधन के लिए एपीजी के अंदर प्रासंगिक समूह को संदर्भित करेंगे।

संरक्षित प्रकटीकरण क्या होता है?

यदि कोई कार्यबल भागीदार, या किसी अन्य एजेंसी का कोई सार्वजनिक अधिकारी यथोचित रूप से गंभीर प्रकृति की गलती, दुराचार या अनुचित स्थिति के मामले या परिस्थितियों का संदेह करता है, तो प्रकटीकरण को एक जनहित प्रकटीकरण या व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं:

- इस प्रकार का आचरण या प्रथाएँ, जो ऑस्ट्रेलिया या विदेश के किसी कानून, विनियमन या संहिता का उल्लंघन हो सकता है (जैसे चोरी, मादक-पदार्थों की बिक्री या उपयोग, आपराधिक क्षति आदि);
- भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी युक्त आचरण (जैसे धन का दुवनियोजन, रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, झूठी या भ्रामक जानकारी आदि);
- ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के संसाधनों का कुप्रशासन या गंभीर रूप से कुप्रबंधन या बर्बादी (जैसे कार्यस्थल द्वारा उपलब्ध कराए गए फोन का अत्यधिक निजी उपयोग, निजी वाहनों के लिए ईंधन कार्ड का अनधिकृत उपयोग, व्यक्तिगत लाभ के लिए समूह के संसाधनों/जानकारी का उपयोग आदि);
- स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए पर्याप्त खतरे वाला अथवा पर्यावरण या जनता के लिए अत्यधिक खतरे वाला आचरण;
- मानवाधिकार मानकों का संभावित उल्लंघन करने वाला आचरण;
- समूह को गंभीर प्रकृति का वित्तीय या गैर-वित्तीय नुकसान पहुंचा सकने वाला आचरण, अथवा इसकी प्रतिष्ठा और ब्रांड को हानि पहुंचा सकने वाला आचरण, या जो अन्यथा वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा कर सकता है; अथवा
- हमारी नैतिकता का गंभीर उल्लंघन।

व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण कैसे करें

यदि आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट समूह के वर्तमान या भूतपूर्व कार्यबल भागीदार हैं या किसी अन्य एजेंसी के सार्वजनिक अधिकारी हैं और आप गंभीर प्रकृति की गलती, दुराचार या अनुचित स्थिति के मामले या परिस्थितियों का संदेह होने के बारे में रिपोर्ट करना चाहते/चाहती हैं, तो **व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन** के माध्यम से **1800 799 353 (ऑस्ट्रेलिया)** या **+61 3 8603 5364 (विदेश)** पर प्रकटीकरण जमा किया जा सकता है ।

व्हिसलब्लोअर हॉटलाइन का प्रबंधन एक बाहरी प्रदाता द्वारा किया जाता है, जो आपकी चिंताओं को ऑस्ट्रेलिया पोस्ट समूह के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति निर्देशित करेगा।

यदि आपका प्रकटीकरण निगम अधिनियम (Corporations Act) या कराधान प्रशासन अधिनियम (Taxation Administration Act) के तहत एक पीआईडी या प्रकटीकरण है (या ऐसा माना जाता है), तो हमारे बाहरी प्रदाता द्वारा इसे प्राप्त किए जाने पर इसका प्रबंधन प्रासंगिक व्हिसलब्लोअर कानून के अनुसार किया जाएगा, जैसाकि नीचे बताया गया है।

इसके विकल्प के रूप में आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रुप व्हिसलब्लोअर पोर्टल के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया पोस्ट ग्रुप प्राधिकृत अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते/सकती हैं

क्या जानकारी शामिल करें

प्रकटीकरण करते समय आपको इनमें से यथासंभव अधिक से अधिक विवरण उपलब्ध कराने के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि ऑस्ट्रेलिया पोस्ट समूह को कार्यवाही के लिए सबसे अच्छा मार्ग निर्धारित करने में सहायता मिल सके:

- अपना नाम और संपर्क विवरण (इसकी सलाह दी जाती है, लेकिन गुमनाम रूप से प्रकटीकरण भी किए जा सकते हैं);
- गलत कार्य की प्रकृति;
- उस व्यक्ति का विवरण, आपके विचार में जिसने गलत कार्य किया है (यदि यह व्यक्ति एक अनुबंधित सेवा प्रदाता है, तो प्रदाता का विवरण और स्थान);
- गलत कार्य कब और कहां हुआ था;
- गलत कार्य के आस-पास कोई भी प्रासंगिक घटनाएँ;
- कोई अन्य व्यक्ति, जो आपकी जानकारी में गलत कार्य में शामिल था;
- कोई अन्य व्यक्ति, जो दावों को सत्यापित कर सकता है;
- यदि आपने गलत कार्य पर प्रतिक्रिया करते हुए कुछ किया है;
- यदि आप संभावित प्रतिशोध के बारे में चिंतित हैं;
- कोई अन्य सहायक जानकारी (जैसे दस्तावेज, फाइल नोट्स)।

उपलब्ध कराई गई जानकारी स्पष्ट और तथ्यात्मक होनी चाहिए। अनुमानों, व्यक्तिगत आक्रमणों और भावुक भाषा का प्रयोग न करने की कोशिश करें।

आपके प्रकटीकरण के साथ व्यवहार

आपके द्वारा प्रकटीकरण जमा किए जाने के बाद व्हिसलब्लोअर टीम यह आकलन करेगी कि क्या प्रकटीकरण को पीआईडी अधिनियम (PID Act) के तहत जनहित प्रकटीकरण अथवा निगम अधिनियम (Corporations Act) या कराधान प्रशासन अधिनियम (Taxation Administration Act) के तहत व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण के रूप में संरक्षित किया जा सकता है।

आपके प्रकटीकरण को अन्वेषक को सौंपे जाने के किसी भी निर्णय के बारे में आपको सूचित किया जाएगा और आपको यह तय करने का अवसर दिया जाएगा कि क्या आप अपनी पहचान आगे अन्वेषक को दिया जाना चाहते/चाहती हैं। यदि आप अपनी पहचान अन्वेषक को नहीं दिया जाना चाहते/चाहती हैं, तो इसकी वजह से आपकी चिंताओं की जांच करने की उनकी क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

यदि प्रकटीकरण पीआईडी अधिनियम (PID Act) के तहत जनहित प्रकटीकरण अथवा निगम अधिनियम (Corporations Act) या कराधान प्रशासन अधिनियम (Taxation Administration Act) के तहत व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, लेकिन किसी अन्य नीति के तहत इसपर विचार किया जा सकता है, तो व्हिसलब्लोअर टीम इस मामले पर विचार करने और मामले की आगे जांच करने के लिए इसे उपयुक्त टीम के प्रति संदर्भित करेगी (जहां उचित हो)।

पीआईडी अधिनियम (PID Act), निगम अधिनियम (Corporations Act) या कराधान प्रशासन अधिनियम (Taxation Administration Act) के तहत संरक्षण

यदि आपके मामले को पीआईडी अधिनियम (PID Act) के तहत एक जनहित प्रकटीकरण अथवा निगम अधिनियम (Corporations Act) या कराधान प्रशासन अधिनियम (Taxation Administration Act) के तहत एक व्हिसलब्लोअर प्रकटीकरण मान लिया जाता है, तो आपके लिए निम्नलिखित अधिकार लागू होते हैं:

- आपके प्रकटीकरण के साथ गोपनीय और सामयिक रूप से व्यवहार किया जाएगा,
- आपको संरक्षित प्रकटीकरण करने के संबंध में नागरिक, आपराधिक और प्रशासनिक दायित्वों से प्रतिरक्षण प्राप्त है।
- आपके पीआईडी के आधार पर आपको अपने विरुद्ध प्रवर्तन या लागू किए जा रहे संविदात्मक कार्यों से प्रतिरक्षण प्राप्त है।
- आपको प्रकटीकरण करने या प्रकटीकरण करने का संदेह किए जाने पर आपके विरुद्ध हानि या प्रतिशोध से प्रतिरक्षण प्राप्त है।

किसी भी अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी ये सुरक्षाएँ और प्रतिरक्षण लागू रहते हैं।

किंतु यदि आप जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रकटीकरण करते/करती हैं, अथवा यदि आपके प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप आपके खुद के गलत कार्य पहचान में आते हैं, तो व्हिसलब्लोअर कानून इनके परिणामों से आपकी रक्षा नहीं करेंगे।

आपकी जिम्मेदारियां

पीआईडी अधिनियम (PID Act) , निगम अधिनियम (Corporations Act) या कराधान प्रशासन अधिनियम (Taxation Administration Act) के तहत प्रकटीकरण करने वाले कार्यबल प्रतिभागियों के लिए निम्नलिखित जिम्मेदारियां लागू होती हैं:

- जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी की सूचना न दें।
- अपने प्रकटीकरण के बारे में विचारशील बने रहें और प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखें।
- जांच के दौरान आवश्यकतानुसार उचित सहायता प्रदान करें।
- यदि आपको अपने प्रकटीकरण के संबंध में किन्हीं समस्याओं या संभावित प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने सुपरवाइज़र, प्राधिकृत अधिकारी/योग्यतापात्र प्राप्तकर्ता या व्हिसलब्लोअर टीम को सचेत करें।
- यदि आपको आवश्यकता हो, तो समुचित समर्थन प्राप्त करें।
- यदि आपको आवश्यकता हो, तो प्रक्रिया और अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के बारे में स्वतंत्र कानूनी सलाह लें।

गुमनाम प्रकटीकरण

प्रकटीकरण करते समय आप अपनी पहचान का खुलासा करने या गुमनाम रूप से प्रकटीकरण करने का विकल्प चुन सकते/सकती हैं।

किंतु गुमनाम रहने से कुछ परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के लिए आपके प्रकटीकरण की जांच कर पाना कठिन, या यहाँ तक अव्यवहारिक भी हो सकता है। कृपया इस बात का ध्यान भी रखें कि यदि आप गुमनाम रहने का चयन करते/करती हैं और संपर्क का माध्यम प्रदान नहीं करते/करती हैं, तो प्रक्रिया के दौरान ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के लिए आपके साथ संवाद कर पाना कठिन होगा।

आगे की जानकारी

पीआईडी अधिनियम: [जनहित प्रकटीकरण - राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman)]

निगम अधिनियम: https://asic.gov.au/about-asic/asic-investigations-and-enforcement/whistleblowing/

कराधान प्रशासन अधिनियम: https://www.ato.gov.au/general/gen/whistleblowers/